कानून अपना काम कर रहा, मुझे जांच एजेंसी पर भरोसा

कोलकाता, 7 मई. उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम इलाके में 6 और 7 मई की दरम्यानी रात में सुवेन्द्र अधिकारी के निज सचिव की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद कोलकाता के आसपास के इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं.

▸ **पीए के ड्राइवर की हालत भी है नाजुक**
सभी हमलावर बाइक पर सवार थे

इस बीच सुवेन्दु अधिकारी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और उन्हें जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है. जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ रथ अपने वाहन से कहीं जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पहले वाहन को घेरने की कोशिश की और फिर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. हमले में चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक हमला नहीं बल्कि उनके लिए 'निजी क्षति' भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या पूरी तरह सुनियोजित लगती है और इसके पीछे बड़े नेटवर्क की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है और विपक्षी नेताओं तथा उनके करीबी लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है. हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया गया है.

पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जांचकर्ताओं को कुछ संदिग्ध वाहन और तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हमला पूरी तरह पेशेवर तरीके से किया गया था या इसके पीछे किसी स्थानीय गैंग का हाथ है. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हमलावर बेहद तेजी से आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. कुछ रिपोर्टों में सीमापार कनेक्शन और संदिग्ध गतिविधियों की भी चर्चा हो रही है, हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है. इस घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है. फिलहाल पूरे राज्य की नजर पुलिस जांच और संभावित गिरफ्तारी पर टिकी हुई है.

कानून नहीं समाज बदलेगा व्यवस्था

जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना देना पर्याप्त नहीं : भागवत

मैसूर, 7 मई. मैसूर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता जैसे बड़े विषयों पर केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है. इन नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि जनता सहयोग नहीं करेगी तो किसी भी नीति का अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाएगा.

भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में सामाजिक बदलाव ऊपर से थोपा नहीं जा सकता. इसके लिए समाज को भीतर से तैयार करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था दिशा दिखा सकती है, लेकिन असली परिवर्तन जनता की मानसिकता और व्यवहार से आता है. समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेकर समाज में खुली चर्चा और समझ विकसित करने की जरूरत है. उन्होंने संकेत दिया कि जब समाज इसके महत्व को समझेगा, तभी इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा.

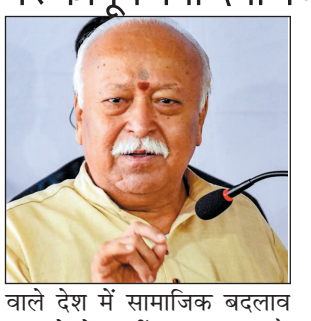

गांवों के विकास बिना देश का विकास नहीं

राजस्थान के सीएम भजनलाल ने बम्बोरी गांव का किया पैदल भ्रमण

प्रतापगढ़, 7 मई. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गांवों के विकास के बिना देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है. शर्मा ने गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव का पैदल भ्रमण किया और इस दौरान यह बात कही.उन्होंने कहा कि जब तक गांवों के बीच जाकर लोगों से संवाद नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता और गांवों के विकास से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा.

उन्होंने कहा कि ग्राम विकास चौपाल और ग्राम विकास रथ विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल हैं. शर्मा ने घर-घर जाकर ग्रामीणों से आत्मीयता से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने गांव भ्रमण के दौरान बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य, पेंशन एवं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में जानकारी ली.वहीं, जब बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपना होमवर्क दिखाया और पढ़ाई के बारे में बात की, तो उन्होंने बच्चों को दुलार करते हुए उन्हें चॉकलेट भी दी.उन्होंने महिलाओं से संवाद करते हुए अधिकाधिक संख्या में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) से जु?ने का आह्वान किया.मुख्यमंत्री ने गांव में भ्रमण के बाद ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **सी.एच. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कॉमर्स** ग्राम बारोली, पालिया रोड, उज्जैन टोल नाके के पास, इन्दौर जो कि सेरेब्रल एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। विगत वर्षों में महाविद्यालय में पढ़ने योग्य उचित विद्यार्थियों का प्रवेश ना होने से महाविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का संचालन स्थाई रूप से बंद किये जा रहे हैं। उक्त संबंध में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा भी दिनांक 4 जून 2025 को महाविद्यालय बंद करने हेतु अनापत्ति जारी कर दी गई है जिसका क्रमांक शैक्षणिक/ सम्बद्धता/2025/1381 दिनांक 04 जून 2025 है। विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के नियमानुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की गई है अतः सभी संबंधितों को सूचित हो।

संचालक
सी.एच. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कॉमर्स
ग्राम बारोली, पालिया रोड, इन्दौर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए 09/06/2026 से 11/06/2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
171937644	रचना बिड़ला	सनावाद ग्रामीण
167872765	उदित कुशवाह	सांवेर ग्रामीण
176883451	अब्दुल वहाब खान	देवास शाखा
169053326	हेमराज धनुक	इंदौर अन्नपूर्णा शाखा
170924663	शाहरुख खान	डेहरिया सराय ग्रामीण

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :
1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

दिनांक: 08.05.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के
अधिकृत अधिकारी

पश्चिम मध्य रेल

निविदा सूचना

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.मं.सं. एवं दू.सं. इंजी. (सिग्नल एवं दूर संचार) पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल, निम्नलिखित कार्यों कोटा/एसएण्डटी/टेलि/2026/06 एवं कोटा/एसएण्डटी/टेलि/2025/11 आर के लिये निर्धारित ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। टेण्डर खुलने की तारीख एवं समय 28.05.2026 एवं 01.06.2026 समय 15:00 बजे। इस निविदा के लिये किसी भी तरह के मैन्युअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैन्युअल प्रस्ताव को नजर अंदाज कर दिया जायेगा। **(1) टेण्डर सं:** कोटा/एसएण्डटी/टेलि/2026/06 **कार्य का नाम:** प्रोवीजन ऑफ अल्टरनेट कम्यूनीकेशन मीडिया/ ब्लॉक वर्किंग/ अंदर सर्किटस् थ्रू वायरलेस सिस्टम ऑफ इनहेन्सिंग रिलायब्लिटी ऑफ सिगनलिंग सिस्टम इन कोटा-चित्तौडगढ़ सेक्शन एण्ड ए नयागांव पूरा कुमरा-खिलचीपुर ब्लॉक ऑफ रामगंजमण्डी-ब्यावरा राजगढ़ सेक्शन ऑफ कोटा डिवीजन। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 34516989.60/- **टेण्डर फॉर्म की कीमत:** निल **बयाना राशि:** ₹ 690400/- **कार्य समाप्ति अवधि:** 12 माह **टेण्डर जमा करने आखिरी तारीख एवं समय:** दिनांक 28.05.2026 को 15.00 बजे तक **(2) टेण्डर सं:** कोटा/एसएण्डटी/टेलि/2025/11आर **कार्य का नाम: (1)** टेलिकॉम वर्कइन कनेक्शन विथ एय्यूमेन्टेशन ऑफ़ ऑनलाइन ट्रेनिंग फैसिलिटी कम सि.बी.टी सेण्टर ऑफ़ 150 केपेसिटी इन पर्सनल डिपार्टमेंट ऐट डी आर ऍम ऑफिस ऑफ़ कोटा डिवीजन, पश्चिम मध्य रेलवे. **(2)** टेलिकॉम वर्कइन कनेक्शन विथ इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफिस बिल्डिंग इन्प्रोवेमेंट वर्क ऐट डी.आर.एम ऑफिस कोटा पश्चिम मध्य रेलवे **(3)** टेलिकॉम वर्कइन कनेक्शन विथ एक्सटेंशन ऑफ़ आर.ओ. ऐच. शेड ऑफ़ कोटा डिवीज़न पश्चिम मध्य रेलवे **(4)** प्रोवीजन ऑफ रेलेनट कनेक्टिविटी एट कोटा पीडब्ल्यूआई डिपो (नॉर्थ) ऑफ कोटा डिवीजन, पश्चिम मध्य रेलवे। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 3423423.49/- **टेण्डर फॉर्म की कीमत:** निल **बयाना राशि:** ₹ 68500/- **कार्य समाप्ति अवधि:** 12 माह **टेण्डर जमा करने आखिरी तारीख एवं समय:** दिनांक 01.06.2026 को 15.00 बजे तक. पूर्ण विवरण वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर अपलोड किया गया हैं। निविदा/बोलीदाताओं के पास कक्षा III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है और आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदा/बोलीदाताओं ई-टेण्डरिंग में भाग ले सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय अपलोड किया जाना चाहिये। पंजीकृत निविदा एण्ड GSTIN रजिस्टर होना चाहिये।

(हस्ता.)
वरि.मं.सं.एवं दू.सं.इंजी. (समन्वय),
पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मण्डल

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

ऐक्सिस बैंक लिमिटेड

गिरवी रखी गई परिसंपत्ति स्वर्ण आभूषणों की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

उधारकर्ता को विशेष और सामान्य रूप से जनता को यहां सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए खातों में सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी एक्सिस बैंक द्वारा की निम्न शाखाओं में आयोजित की जानी है।
नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने सुरक्षा के प्रति बैंक के पक्ष में सोने के गहने (गोल्ड लोन सुविधा) की गिरवी के एवज एक्सिस बैंक लिमिटेड से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया है। उधारकर्ताओं/ गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं जो उधारकर्ताओं/ गारंटरों को गोल्ड लोन सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। जैसा कि उधारकर्ता /गारंटर बकाया ऋण राशि चुकाने में विफल रहे हैं, बैंक गिरवी आभूषणों की नीलामी करने के लिए विवश है और **08.06.2026** को प्रातः 11.00 बजे जहां है जैसा है, जैसा है जितना है में गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की नीलामी बिक्री का प्रस्ताव रखा गया है। नीलामी आयोजित की जाएगी।
उधारकर्ताओं और बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है।

उधारकर्ता का नाम	ऋण खाता क्रं.	बकाया राशि (₹)	पुन: सूचना दिनांक	कुल वजन	शुद्ध वजन
शाखा : आनंद बाजार IND (म.प्र.)					
जयश्री पाटीदार	XXXXXXXXXXX6388	769706	12-02-2026	96.800	96.200
शाखा : बनीखेड़ी (म.प्र.)					
शुभम पाटीदार	XXXXXXXXXXX2935	472084	13-04-2026	77.270	73.000
गंगानारायण सिंह सिसौदिया	XXXXXXXXXXX9844	219817	14-09-2025	52.880	49.000
शाखा : भंवरकुंआ, इन्दौर (म.प्र.)					
योगेश कुमार	XXXXXXXXXXX7613	972682	02-04-2026	106.800	106.000
शाखा : देवास (म.प्र.)					
अपजल	XXXXXXXXXXX6744	929220	02-04-2026	138.600	112.500
मनोहर लाल वर्मा	XXXXXXXXXXX6751	198565	16-11-2025	39.500	39.000
मनोहर लाल वर्मा	XXXXXXXXXXX9912	50300	18-04-2026	8.900	8.600
राम राज	XXXXXXXXXXX4134	158186	09-03-2026	27.600	24.000
करण सिंह पंवार	XXXXXXXXXXX6111	42756	13-04-2026	9.200	9.000
नेहा दमके	XXXXXXXXXXX0726	34077	02-04-2026	5.700	5.400
शाखा : हंसाखेडी SANW (म.प्र.)					
रघुवीर	XXXXXXXXXXX0089	1097463	18-04-2026	151.400	111.800
प्रभात पंड्या	XXXXXXXXXXX0120	146387	10-01-2026	27.200	23.300
उमेश चौधरी	XXXXXXXXXXX0789	88766	02-04-2026	9.900	9.600
शाखा : झाबुआ (म.प्र.)					
ज्योति नायक	XXXXXXXXXXX7063	1333273	02-04-2026	233.500	212.000
रेखा सिंगाड़िया	XXXXXXXXXXX9842	366821	09-03-2026	83.100	64.300
शशिता भूरिया	XXXXXXXXXXX2893	548565	02-04-2026	88.800	84.700
सुनील बोरेचा	XXXXXXXXXXX3905	383228	13-04-2026	40.800	39.000
शाखा : खाचरोद (म.प्र.)					
बाबू पटेल	XXXXXXXXXXX9691	546094	09-03-2026	64.500	63.200
शाखा : खंडवा रोड, इन्दौर (म.प्र.)					
भरत चौहान	XXXXXXXXXXX6941	1019356	18-04-2026	101.200	98.800
शाखा : खरगौन (म.प्र.)					
अभय महाजन	XXXXXXXXXXX6331	272108	09-02-2026	46.200	44.100
अभय महाजन	XXXXXXXXXXX2949	77167	09-03-2026	46.200	44.100
पंकज चौहान	XXXXXXXXXXX5176	608890	13-04-2026	63.500	62.200
बाबूलाल चौहान	XXXXXXXXXXX1965	312788	02-04-2026	51.900	50.900
भावेश सावनेर	XXXXXXXXXXX7595	81241	13-04-2026	9.400	9.200
राजेश चौहान	XXXXXXXXXXX3487	65054	16-11-2025	11.400	11.100
जीतेन्द्र यादव	XXXXXXXXXXX1288	40117	02-04-2026	8.700	7.500
शाखा : लसुडिया मोरी, इन्दौर (म.प्र.)					
राहुल वाधवानी	XXXXXXXXXXX5058	1559670	19-03-2026	178.700	172.800
आयुष पटेल	XXXXXXXXXXX9705	253587	02-04-2026	34.100	33.000
सुमित मंडलोई	XXXXXXXXXXX5380	302985	10-04-2026	54.000	50.300
आनंद शर्मा	XXXXXXXXXXX2271	105639	02-04-2026	13.900	13.700
वन्दना सेन	XXXXXXXXXXX4004	101596	13-04-2026	20.400	17.900
शाखा : निपानिया (म.प्र.)					
संतोष शर्मा	XXXXXXXXXXX0702	1508957	12-02-2026	380.300	303.900
शाखा : पालदा, मध्यप्रदेश, इन्दौर (म.प्र.)					
वर्षा मीना	XXXXXXXXXXX9387	932561	10-01-2026	415.500	399.800
जावेद पटेल	XXXXXXXXXXX3108	293183	02-04-2026	45.400	44.800
शाखा : रिंगोदिया, इन्दौर (म.प्र.)					
गोविंद पनवार	XXXXXXXXXXX0377	727710	13-04-2026	146.000	113.000
शाखा : सपना संगीता रोड, इन्दौर (म.प्र.)					
राजेश कुमार	XXXXXXXXXXX8446	733036	13-04-2026	126.300	125.000
महेंद्र सिंह चौहान	XXXXXXXXXXX7989	309584	02-04-2026	40.900	40.300
आकाश मालाकार	XXXXXXXXXXX4634	64498	27-10-2025	11.800	11.300
शाखा : सेलदा (म.प्र.)					
मुस्ताक खान	XXXXXXXXXXX5225	421442	02-04-2026	45.900	44.200
शिवम	XXXXXXXXXXX5394	164207	13-04-2026	28.500	26.250
शिवम	XXXXXXXXXXX9778	76044	13-04-2026	28.500	26.250
राजेश	XXXXXXXXXXX3545	58968	02-04-2026	10.500	10.500
शाखा : शाजापुर (म.प्र.)					
मोहम्मद इरशाद मोहम्मद अय्यूब	XXXXXXXXXXX4104	489995	02-04-2026	111.100	107.350
संदीप राठोर	XXXXXXXXXXX0666	213148	02-04-2026	35.200	34.000
नरेंद्र सिंह राजपूत	XXXXXXXXXXX1188	165063	09-02-2026	19.800	19.200
शाखा : शुजालपुर (म.प्र.)					
मीना	XXXXXXXXXXX1116	1982760	13-04-2026	219.000	216.700
सतीश पाटीदार	XXXXXXXXXXX6510	548807	13-04-2026	60.800	56.500
शाखा : उज्जैन (म.प्र.)					
योगेश अंजना	XXXXXXXXXXX3004	1011633	02-04-2026	121.700	97.100
शाखा : विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)					
केशव सिंह जादौन	XXXXXXXXXXX4892	747800	18-04-2026	79.100	78.200
सतीश महरोलिया	XXXXXXXXXXX4319	182000	13-04-2026	24.400	24.100
आशुतोष कुमार सिंह	XXXXXXXXXXX1346	345587	13-04-2026	56.500	51.300
वीरेन्द्र सिंह	XXXXXXXXXXX5989	105267	02-04-2026	15.400	14.400

निविदा की नियम एवं शर्ते

बेस/रिजर्व प्राईस नीलामी के दिन/तिथि को निविदाकर्ताओं को दिया जाएगा, जिस पर नीलामी बोली पर विचार किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित निविदा फॉर्म में बोली/प्रस्ताव को केवल बोली लगाने के लिए माना जाएगा।
अपूर्ण बोली प्रपत्र/निविदा अमान्य मानी जाती है और अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी। नियम और शर्तों के साथ निविदा दस्तावेज उपरोक्त शाखा से एकत्र किए जाएंगे। **08.06.2026** को कार्य अवधि के दौरान निविदा दस्तावेज विधिवत संबंधित शाखा के अधिकारी को सौंपे। नियत तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त संपत्तियों को "जैसा है वैसा है", "जैसा है वैसा है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा नहीं है" आधार पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है।
बैंक उक्त संपत्ति के संबंध में मानक, शुद्धता और/या किसी अन्य देय राशि, करों, यदि कोई हो, के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में बैंक द्वारा नीलामी तिथि पर निविदाएं खोली जाएंगी, जो उपर दिए गए दिन और समय के अनुसार मौजूद रहने का विकल्प चुन सकती हैं, अन्य बातों के साथ, उनके संबंधित प्रस्तावों को बढ़ाने/संशोधित करने के लिए।
शाखा का नाम उपर उल्लेखित है। नीलामी की तारीख 08.06.2026
एक बार प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव/निविदा वापस नहीं ली जा सकती और यदि बोली किसी विशेष लेख/संपत्ति/आभूषण के लिए एकल बोली/प्रस्ताव है, तो बोलीदाता राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
यदि विशेष लेख/संपत्ति/आभूषण के लिए एक से अधिक बोली हैं, तो बोली लगाने वाले के बीच अंतर-से बोली लग जाएगी और उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
बोलीदाता को सभी केवाईसी दस्तावेज यानि पैन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पता प्रमाण आदि प्रस्तुत करने चाहिए।
बोलीदाता को वैध ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर जमा करना चाहिए
बैंक अपने विवेकाधिकार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
उक्त संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न किसी विवाद/मतभेद को केवल मुंबई में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन किया जाएगा।

स्थान: मध्यप्रदेश
प्राधिकृत अधिकारी
एक्सिस बैंक लिमिटेड

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्या: U67190MH2008PLC187552

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया।
उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, नीचे उल्लिखित सीसी संख्या में तहसीलदार के माध्यम से वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को भौतिक कब्जा सौंप दिया है।
ऋण लेने वाले को, विशेष रूप से, और आम जनता को, यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के लिए, ब्याज सहित, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, मांग नोटिस की तिथि से जब्त किया जाएगा। ऋण लेने वाले का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता संख्या	देनदार का नाम / कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि	मांग नोटिस के अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / भौतिक कब्जे की तिथि	आदेश दिनांक / सीसी नं.
TCHHL02840 00100387493, TCHIN02840 00100387734	श्री आशीष वर्मा (ऋणकर्ता) और श्रीमती खुशबू वर्मा (सह-ऋणकर्ता)	रू. 15,11,964/- और रू. 1,12,894/-	03-09-2025	13-03-2026
			04-05-2026	केस सं. 0079/बी-121/2025-26

गिरवी रखी गई संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, फ्लैट संख्या 202, दूसरी मंजिल, "श्रीजी हाइट्स" ब्लॉक-बी, सर्वे संख्या 322/3 और 322/4, ग्राम भिचोली मरदाना, तहसील भिचोली हप्सी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - क्षेत्रफल 580 वर्ग फुट (यानी 53.90 वर्ग मीटर) सीमाएँ: पूर्व: भवन का खुला स्थान, पश्चिम: मार्ग, उत्तर: फ्लैट संख्या 201, दक्षिण: भवन का खुला स्थान

दिनांक:- 08.05.2026
स्थान:- इंदौर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक,
नीमच शाखा: 230, अम्बेडकर मार्ग,
टीचर्स कॉलोनी, नीमच-458441

परिशिष्ठ - 4 {नियम-8(1)} आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 8 & 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में **ऋणी श्री विक्की अलानी पिता श्री अशोक कुमार अलानी** को हमारी **अम्बेडकर रोड, नीमच शाखा** से मांगनी करते हुए मांग सूचना पत्र **दिनांक 11.02.2026** उक्त सूचना पत्र की दिनांक से **60 दिवस** के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित राशि **रु. 20,16,389.375/- (रुपये बीस लाख सोलह हजार तीन सौ उननब्बे एवं तीन सौ पिच्छहत्तर पैसे मात्र)** उस पर ब्याज और आगे ब्याज के साथ लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों